



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3865 / आर-1851162-2024-बी-1-दो.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

#### आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 176 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 176 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अनुसंधान नहीं करेगा, तो इसकी सूचना फरियादी को, किसी भी रीति से, जिसके अधीन इलेक्ट्रानिक संसूचना भी सम्मिलित है, तत्काल देगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two.

Bhopal, the 13<sup>rd</sup> January 2025**ORDER**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 176 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, notifies that under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 176 of the said Act, if the Officer-in-charge of the Police Station shall not investigate, then he shall inform the complainant immediately through any mode, under which electronic communication is also involved.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
GAURAV RAJPUT, Secy.